न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 03/2025

गिरधारी लाल जाट पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी ग्राम बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बोबास प०स० जोबनेर जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर

रेस्पोडेंन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री हनुमान जाखड वकील प्रार्थी

2. सरकार पैरोकार

दिनांक :– 29/09/2025

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट इस आशय की पेश कि गयी है कि राजस्व ग्राम बोबास तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित अराजी ख०न० 173/8 रकबा 0.1265 है0 किस्म डहरी प्रथम ख० न० 0059/173 रकबा 0.5247 है0 जो राजस्व रिकॉर्ड में हरिद्वारी पत्नी सोहन लाल जाति ब्राम्हण के नाम से दर्ज थी जिसे हरिद्वारी ने जरिये विकय पत्र दिनांक 10/10/2024 को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके अपीलार्थी गिरधारी लाल को बेचान कर दी गयी तथा मौके पर कब्जा काश्त सम्भला दिया गया तब से उक्त अराजियात मे किसी प्रकार का कोई विवाद नही था अर्थात उक्त अराजियात पाक साफ है अपीलार्थी ने उक्त अराजियात को विक्रेती को सम्पूर्ण प्रतिफल देकर क्रय किया था तथा मौके पर अपीलार्थी 10/10/2024 से कब्जा काश्त चला आ रहा है सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त क्रय की गयी अराजियात को बिना किसी विधिक अधिकार के नामांतकरण से 2902 को खारिज किया गया है। अपीलान्ट गिरधारी लाल के द्वारा क्रय की गयी जमीन का नामांतकरण निरस्त करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट के द्वारा क्रेता से कोई जानकारी नही ली गयी किसी भी प्रकार की सूचना नही दी गयी बिना किसी जॉच पड़ताल के नामांतकरण खारिज करने बाबत जो आदेश

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिया गया वह भारी भूल थी राजनैतिक वैमनश्यता के कारण जानबुझकर बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त नामांतकरण को खारिज किया गया है। उक्त अराजियात ख०न० 173/8 व 1159/173 जो राजस्व ग्राम बोबारा मे स्थित है इसमे किसी प्रकार का कोई विवाद नही था एक मात्र खातेदारी विक्रेती हरिद्वारी पत्नि सोहन लाल के नाम से थी क्रेता अपीलार्थी की कृषि भूमि के सींव जोड़ होने की वजह से सुविधा जनक थी इसलिये अपीलार्थी ने विक्रेती को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा करके उक्त जमीन दिनांक 10/10/2024 को कय की थी तथा मौके पर कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया था जो निरन्तर चला आ रहा है सम्पूर्ण हिस्सा अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया है उक्त अराजियात मे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है परन्तु फिर भी ग्राम पंचायत न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण को खारिज करके भारी भूल की गयी है पंचायत का निर्णय विधि सम्मत नही है उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामांतकरण जो पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी द्वारा पंचायत के समक्ष पेश किया गया था पटवारी/गिरदावर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी थी सम्पूर्ण जाँच करके पंचायत के समक्ष पेश किया गया था फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से उक्त नामांतकरण को खारिज किया गया है इसलिये अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर विनम्र निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं० 1 के द्वारा पारीत निर्णय को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किये जाकर अपीलान्ट के नाम उक्त नामांतकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें इस बाबत तहसीलदार जोबनेर को आदेश प्रदान किया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। सरकार पैरोकार उपस्थित।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 2902 दिनांक 06/12/2024 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अराजी ख०न० 173/8 रकबा 0.1265 है0 किस्म डहरी प्रथम ख० न० 0059/173 रकबा 0.5247 है0 वाके ग्राम बोबास पटवार हल्का बोबास भू0अभि0नि0क्षे0 आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थी द्वारा श्रीमती हरीद्वारी देवी पत्नि सोहनलाल जाति ब्राह्मण नि0 बोबास से नियमानुसार प्रतिफल अदा कर दिनांक 10.10.2024 को क्रय की गयी, जिसे उपपंजियक बगरू ने निष्पादित कर पंजियन

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

किया है। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार पटवार हल्का बोबास द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ सरपंच ग्राम पंचायत बोबास के यहां प्रस्तुत किया गया, जिसे ग्राम पंचायत बोबास द्वारा खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार प्रतिफल अदा कर उपरोक्त आराजीयात क्रय की गयी है तथा विक्रय पत्र उपपंजीयक बगरू के यहां निष्पादीत कराया गया है। ग्राम पंचायत बोबास द्वारा बिना किसी ठोस वजह एवं प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त नामान्तकरण को खारिज किया गया। अतः नामान्तरण संख्या 2902 आदेश दिनांक 06/12/2024 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2902 आदेश दिनांक 06/12/2024 सरपंच ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो विक्रय पत्र की पुनः जांच करें तथा उप पंजियक बगरू द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2024 में कोई त्रुटि कारित नहीं होने की स्थिति में पुनः नामान्तकरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा [illegible] RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर